अपील सूचना अधिकार संख्या 56/2016 अनवानी रमेशचन्द्र शर्मा पुत्र पतराम निवासी गांव ताखरावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12–06–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री रमेशचन्द्र शर्मा उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री रमेशचन्द्र शर्मा ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 29.12.2015 के द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

1.श्रीमति परमिन्द्रजीतपाल कौर परवर्तित नाम प्रमिला पटवारी हाल हल्का साधुवाली की सेवापुस्तिका के प्रथम चार पृष्ठो की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2.सामुहिक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत सेवाकाल के प्रारम्भ से लेकर वर्ष अप्रैल 2015 तक मनोनयन की सूचना मूल फार्म सहित प्रमाणित प्रतिलिपि।
3.शैक्षणिक योग्यता की अंकतालिका की प्रतिलिपी।
4.जीपीएफ व एसआई नम्बर व मनोनयन की सूचना सेवाकाल प्रारम्भ से अप्रैल 2015 तक (सैट तीन 2 प्रतियों मे)
नोट–प्रार्थी न्यायिक अभिरक्षा में है अतः सूचना 40 घण्टे मे उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की जाती है।

अपीलार्थी ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि उसके द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है एवं जान बूझकर विलम्ब किया गया है। उसकी अपील स्वीकार की जाकर चाही गई सूचना शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करवाये जाने का आदेश दिया जावे एवं एवं लोक सूचना अधिकारी को उसके कृत्य हेतु प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाकर अधिनियम के प्रावधानानुसार दण्डित किया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर तहसीलदार (राजस्व) भू अभिलेख शाखा श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 937 दिनांक 05.04.2016 प्रस्तुत किया है कि उनके कार्यालय के पत्र सं0 108 दिनांक 15.01.2016 के द्वारा सूचना अपीलार्थी को भिजवाई जा चुकी है एवं दुबारा प्रा0 पत्र प्रस्तुत करने पर पत्र सं0 914 दिनांक 01.04.16 के द्वारा सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

तहसीलदार (राजस्व) भू अभिलेख शाखा श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं0 108 दिनांक 15.01.2016 व 914 दिनांक 01.04.16 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई हैः

पत्र सं0 108 दिनांक 15.01.16

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना निम्नानुसार हैः–

1–श्रीमान मुख्य सूचना आयुक्त के अपील सं0 2653/2012 श्री उमेश शर्मा बनाम उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा चुरू के निर्णय दिनांक 02.03.2013 के तहत सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत अभिलेख तृतीय पक्ष की व्यक्तिगत सूचना होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(J)से वर्जित माना है।
2–सामूहिक दुर्घटना बीमा के मनोनयन प्रपत्र की छाया प्रतियां 3 प्रतियों में भिजवाई जा रही है प्रपत्र प्रमाणित नही होने के कारण प्रमाणित प्रति नही दी जा सकती है।
3–शैक्षिणिक योग्यता सम्बन्धी अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र की मूल प्रति नही होने के कारण प्रमाणित प्रति उपलब्ध नही करवाई जा सकती है। छाया प्रतियां भिजवाई जा रही है।
4–जीपीएफ नम्बर 1017225 एवं एसआई नम्बर 951384 है। मनोनयन सम्बन्धी सूचना सम्बन्धित विभाग से मनोनयन की सूचना मय प्रमाणित प्रति प्राप्त करें।

ह0/-
जिला कलैक्टर

पत्र सं0 914 दिनांक 01.04.16

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमाक/भू.अ/सू.का.अधि. अधिनियम 2005/2015/108 दिनांक 15.01.2016 के तहत सूचना आप द्वारा दिये गये पते पर भिजवाई जा चुकी है।

पुनः सूचना जो इस कार्यालय से सम्बन्धित है निम्नानुसार भिजवाई जा रही है।

1–श्रीमान मुख्य सूचना आयुक्त के अपील सं0 2653/2012 श्री उमेश शर्मा बनाम उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा चुरू के निर्णय दिनांक 02.03.2013 के तहत सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत अभिलेख तृतीय पक्ष की व्यक्तिगत सूचना होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(J)से वर्जित माना है

2–सामूहिक दुर्घटना बीमा के मनोनयन प्रपत्र की छाया प्रतियां 2 प्रतियों में भिजवाई जा रही है प्रपत्र प्रमाणित नही होने के कारण प्रमाणित प्रति नही दी जा रही है।

3–शैक्षिणिक योग्यता सम्बन्धी अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र की मूल प्रति नही होने के कारण प्रमाणित प्रति उपलब्ध नही करवाई जा सकती है। छाया प्रतियां भिजवाई जा रही है।

4–जीपीएफ नम्बर 1017225 एवं एसआई नम्बर 951384 है। मनोनयन सम्बन्धी सूचना सम्बन्धित विभाग से मनोनयन की सूचना मय प्रमाणित प्रति प्राप्त करें।

तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा उक्तानुसार बिन्दु सं0 2 व 3 की सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। बिन्दु सं0 4 की सूचना संबंधीत विभाग से प्राप्त करने के लिए निदेशित किया गया है व बिन्दु सं0 1 की सूचना मुख्य सूचना आयुक्त के अपील सं0 2653/2012 श्री उमेश शर्मा बनाम उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा चुरू के निर्णय दिनांक 02.03.2013 के तहत सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत अभिलेख तृतीय पक्ष की व्यक्तिगत सूचना होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(J)से वर्जित माना है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उतर सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 12.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सा/-

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर

श्रीगंगानगर